न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री भारत भूषण गोयल R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिसल संख्या 34/2020

दीवानी प्रार्थना पत्र :

निर्णय दिनांक :– 22.01.2021

घासी लाल पुत्र आनन्द पुरी जाति गुसाई उम्र बालिग निवासी सिरोही तहसील देवली जिला टोंक राज0

–प्रार्थी–

बनाम

तहसीलदार महोदय, देवली तहसील देवली जिला टोंक राज0 – अप्रार्थी–

उपस्थिति :–

श्री छीतर सिंह नाथावत
अधिवक्ता प्रार्थी

पेरोकार सरकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136, लेण्ड रेवेन्यू एक्ट

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्राथी व अन्य सहखातेदारो की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी भूमि खाता संख्या 400 खसरा नम्बर 199 रकबा 1.61 है0 जिसमे प्राथी का 2/3 हिस्सा है एवं खाता संख्या 169 खसरा नम्बर 570 रकबा 0.45 है0, खसरा नम्बर 679 रकबा 0.04 है0, खसरा नम्बर 680 रकबा 0.01 है0, खसरा नम्बर 681 रकबा 0.01 है0, खसरा नम्बर 682 रकबा 0.04 है0, खसरा नम्बर 683 रकबा 0.01 है0, खसरा नम्बर 684 रकबा 0.26 है0, खसरा नम्बर 685 रकबा 0.22 है0, खसरा नम्बर 686 रकबा 0.51 है0, खसरा नम्बर 687 रकबा 0.07 है0, खसरा नम्बर 688 रकबा 0.34 है0, खसरा नम्बर 727 रकबा 0.09 है0, खसरा नम्बर 733 रकबा 0.04 है0 कुल किता– 13, कुल रकबा 2.09 है0 जिसमे प्राथी का 1/3 हिस्सा है। उक्त वर्णित आराजीयात वाके ग्राम सिरोही पटवार हल्का पोल्याड़ा तहसील देवली जिला टोंक राज0 में स्थित है। प्रार्थी घासी लाल एवं घासीपुरी इन दोनो नामो से जाना जाता है तथा यह दोनो नाम एक ही व्यक्ति के है जो मेरे प्रार्थी स्वंय के नाम है। प्राथी के आधार कार्ड मे प्रार्थी का नाम घासी लाल पुत्र आनन्द पुरी है तथा ग्राम सिरोही की उक्त वर्णित भूमि मे प्राथी का नाम घासीपुरी पुत्र आनन्दपुरी अंकित है।प्रार्थी के आधार कार्ड व नकल जमाबंदी मे प्राथी का नाम अलग अलग होने से काफी परेशानी हो रही है तथा राज्य/केन्द्र सरकार की योजनाओ का लाभ प्राप्त नही कर पा रहा है तथा ना ही ऋण प्राप्त कर पा रहा हें ऐसी स्थिति मे राजस्व रिकार्ड मे प्राथी का नाम दुरुस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

वाद आज से 7 दिन पूर्व उत्पन्न हुआ जब प्राथी जमाबंदी की नकल लेकर बैंक मे फसली ऋण लेने के लिये गया जहां पर बैंक वालो ने प्राथी का नाम अलग अलग होने से ऋण देने से मना कर दिया तब से लगातार रूप से जारी है। वाद वर्णित आराजीयात मे लहखातेदारो के विरूद्ध किसी प्रकार की रिलीफ नही चाही गयी है इस कारण उन्हें पक्षकार नही बनाया गया है।

अप्रार्थी तहसीलदार की तलबी जारी की गई।

तहसीलदार देवली की ओर से पेरोकार सरकार द्वारा जवाब पेश किया जो इस प्रकार है:– बिन्दु नं. 1 :– चरण प्रथम स्वीकार है। बिन्दु नं. 2 :– प्राथी के कथन अनुसार जमाबंदी व आधार कार्ड मे दर्ज नाम सही है। बिन्दु नं. 3 :– प्राथी अपना नाम घासीलाल स्वंय सिद्ध करे व राजस्व रिकार्ड मे घासीपुरी के दस्तावेजो के साक्ष्य स्वंय पेश करे। बिन्दु नं. 4 :– चरण 4 व 5 अपेक्षित नही है। बिन्दु नं. 6 :– न्यायालय से संबंधित है।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यो को ही दोहराया।

पेरोकार सरकार ने जवाब को ही बहस मानने की प्रार्थना की।

पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता प्रार्थीया व पेरोकार सरकार की बहस व पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी सम्वत 2073–76 के खाता संख्या 400 खाता संख्या 169 में प्रार्थी का नाम घासीपुरी पुत्र आनन्द पुरी दर्ज राजस्व अभिलेख है। जबकि सरकारी दस्तावेज आधार कार्ड, में प्रार्थी का नाम घासी लाल पुत्र आनन्द पुरी अंकित है। उक्त दस्तावेज से स्पष्ट है कि राजस्व कार्मिको से प्रार्थी के उक्त नामों में काफी समानता होने के कारण लिपिकीय त्रुटिवश घासीपुरी पुत्र आनन्द पुरी दर्ज राजस्व रिकॉर्ड हो गया, जिसको न्यायहित में शुद्ध किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार दूनी को जमाबन्दी सम्वत 2073–76 के खाता संख्या 400 के ख. नं. 199 रकबा 1.61 है0, खाता संख्या 169 के कुल किता 13 कुल रकबा 2.09 है0 वाके ग्राम सिरोही तहसील देवली में प्रार्थी का नाम घासीपुरी पुत्र आनन्दपुरी के बजाय घासी लाल पुत्र आनन्द पुरी दर्ज राजस्व रिकॉर्ड करने हेतु अनुमत किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली